

19.12.23

पत्रावली पेश हुई।

7/12/23

11/6/24

प्रार्थीगण के वकील उपस्थित।

विप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने एवं न ही उनकी ओर से कोई प्लीडर उपस्थित होने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण विवादित भूमी के रिकार्डेड खातेदार और अपनी खातेदारी जोत की नेखमबंदी करवाने हेतु स्वतंत्र है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया एवं सुनाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
सिणधरी

